

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के श्रीमती स्वरूप मालवीया पिता श्री देवचन्द जी के दिनांक 30.11.2015 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर राजस्थान सेवा नियम 91ए के अन्तर्गत उक्त दिनांक तक बकाया अनुपयोजित उपार्जित अवकाश का नगद राशि रु. चार लॉख एकावन हजार एक सौ पिचत्तर रूपया मात्र का भुगतान किय जाने की नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र.स. | सेवानिवृति के दिन वेतन की दर तथा उस पर दिन प्रभावी दरों के आधार पर देय मंहगाई भत्ता | | | / | सेवानिवृति के दिन अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों की संख्या | कुल राशि |
|--------|---|-------------------|---------|----|--|----------|
| | वर्तमान मूल वेतन | मंहगाई भत्ता 119@ | कुल योग | | जमा अवकाश | |
| 1 | 21460 | 25537 | 46997 | 30 | 288 | 451175 |

अक्षरे – चार लॉख एकावन हजार एक सौ पिचत्तर रूपया मात्र।

प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृति दिनांक 30.11.2015 तक कर्मचारी के सेवाभिलेख में 288 दिन का अनुपयोजित उपार्जित अवकाश शेष हैं


प्रधानाध्यापक

रा.मा.वि. बालावाडा

क्रमांक :- रामावि/बालावाडा/बांस/शेष उपार्जित अवकाश स्वी./2015-16 दिनांक 07.11.2015

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग जयपुर।
2. कोषाधिकारी उपकोष कार्यालय बागीदौरा।
3. व्यक्तिगत पंजिका, श्रीमती स्वरूप मालवीया।
4. श्रीमती स्वरूप मालवीया, वरि.अध्यापक रामावि बालावाडा।
5. कार्यालय प्रति।
6. लेखाशाखा स्थानीय विद्यालय।

प्रधानाध्यापक

रा.मा.वि. बालावाडा